



# भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA



भा.रि.बै./2024-25/45

विवि.आरईटी.आरईसी.25/12.07.160/2024-25

25 जून 2024

सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" को हटाना**

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" को 14 मई 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S8/08.27.159/2024-25 के द्वारा हटा दिया गया है।

भवदीया,

(लता विश्वनाथ)  
मुख्य महाप्रबंधक